

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, सज0 जयपुर

क्रमांक- एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 90/अलेसे-III/ 13450-13477 दिनांक- 02/03/2012
आदेश संख्या 270/2011-12

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ 11 (7) वित्त (नियम) पार्ट- I/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) वेतन श्रृंखला पी0बी0-2 @300-34800) ग्रेड पे 4200/- में स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वग्री	मेरिट/बैंच न0	कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	कुमारी शकुंतला कासट	299/90	03.01.1994	03.01.2012	
2.	श्री किशन लाल मेघवाल	384/90	27.08.1993	27.08.2011	
3.	कमल कुमार	411/90	15.02.1994	15.02.2012	
4.	श्याम लाल गुप्ता	426/90	03.01.1994	03.01.2012	
5.	गोपाल लाल माली	445/90	03.01.1994	03.01.2012	
6.	अजय सांखला	482/90	05.01.1994	05.01.2012	
7.	देवन्द्र कुमार सक्सेना	494/90	03.01.1994	03.01.2012	
8.	कृष्णाकान्त	513/90	03.01.1994	03.01.2012	
9.	लाल सिंह पुरोहित	530/90	03.01.1994	03.01.2012	
10.	पूरणमल धाकड़	569/90	03.01.1994	03.01.2012	
11.	सुमन्त शर्मा	DGS/90	29.01.1994	29.01.2012	
12.	महेश कुमार शर्मा	DGS/90	16.02.1994	16.02.2012	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 14 (88) वित्त/नियम /2008 दिनांक 31-12-2009 में दी हुई शर्तों के संबंध में सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, एवम 11 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के मेमोरण्डम दिनांक 07-06-2011 के अनुसरण में उतने ही पिछले वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुन खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

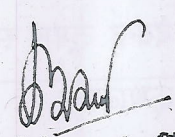
लगातार.....

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12-09-08 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।


निदेशक

क्रमांक— एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 90/अलेसे-III/13450-13477 दिनांक-02/03/2012
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
- 2- श्री कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय
- 3- निजी सहायक निदेशक, महोदय।
- 4- संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
- 5- ~~कम्प्यूटर (विबसाईट हेतु) शाखा।~~
- 6- निजी/गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक- एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 90/अलेसे-गा/ 13450-13477 दिनांक- 02/03/2012
आदेश संख्या 270/2011-12

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ 11 (7) वित्त (नियम) पार्ट- 1/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) वेतन श्रृंखला पी0बी0-2 @300-34800) ग्रेड पे 4200/- में स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	मेरिट/बैंक नं०	कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	कुमारी शकुंतला कासट	299/90	03.01.1994	03.01.2012	
2.	श्री किशन लाल मेघवाल	384/90	27.08.1993	27.08.2011	
3.	कमल कुमार	411/90	15.02.1994	15.02.2012	
4.	श्याम लाल गुप्ता	426/90	03.01.1994	03.01.2012	
5.	गोपाल लाल माली	445/90	03.01.1994	03.01.2012	
6.	अजय साखला	482/90	05.01.1994	05.01.2012	
7.	देवन्द्र कुमार सक्सेना	494/90	03.01.1994	03.01.2012	
8.	कृष्णकान्त	513/90	03.01.1994	03.01.2012	
9.	लाल सिंह पुरोहित	530/90	03.01.1994	03.01.2012	
10.	पूरणमल धाकड़	569/90	03.01.1994	03.01.2012	
11.	सुमन्त शर्मा	DGS/90	29.01.1994	29.01.2012	
12.	महेश कुमार शर्मा	DGS/90	16.02.1994	16.02.2012	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 14 (88) वित्त/नियम /2008 दिनांक 31-12-2009 में दी हुई शर्तों के संबंध में सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, एवम 11 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के मेमोरण्डम दिनांक 07-06-2011 के अनुसरण में उतने ही पिछले वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

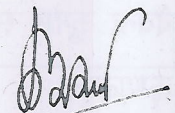
लगातार.....

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12-09-08 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।


निदेशक

क्रमांक- एक 4 (ई) द्वितीय एसीपी 90/अलेसे-III/13450-13477 दिनांक-02/03/2012
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
- 2- श्री कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय
- 3- निजी सहायक निदेशक, सहोदय।
- 4- संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
- 5- कम्प्यूटर (डिबसाईट हेतु) शाखा।
- 6- निजी/गार्ड फाइल।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)